न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नारायणी पत्नी मथरा भील पुत्री जवाना भील, निवासी डबोक, अम्बावेरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जवाना पिता गांगा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (फोत) नाम तर्क किया गया
2. श्रीमती छगनी पत्नी जवाना भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती शान्ति पत्नी उदयलाल भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती पत्नी भंवरलाल भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. (1) मोहन पिता तुलछा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (फोत)

   (2) पन्नालाल पिता तुलछा भील,निवासी तुलसीदास जी की सराय,तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

   ए. श्रीमती खुमाणी पत्नी पन्नालाल भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

   बी. लालुराम पिता पन्नालाल भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

   (3) कजोड़ पिता तुलछा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

   (4) गमाना पिता तुलछा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

   (5) छापुडी पिता तुलछा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

   (6) केसीबाई पिता तुलछा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. गणेश पिता केशा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. उदा पिता केशा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

8. सवा पिता केशा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती अम्बावी पत्नी केशा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (फोत)
10. कमला पुत्री वजा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती कजोड़ी पत्नी वजा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
12. उप पंजीयक कार्यालय मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
13. पटवारी, पटवार हल्का गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
15. छगनलाल पिता पन्नालाल भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. कैलाश पिता उदा भील, निवासी तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक 05–08–2019 प्रकरण संख्या 387/12

———::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> :— 1— श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 06–11–2023</u>**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 373, 374, 593 से 599, 601, 602, 604 से 606, 623 से 626 कुल किता 18 रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर मुझ वादिया का 1/12 हिस्सा निहित होकर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 578 व 579 किता 2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसमें मुझ वादी का 1/3 हिस्सा होकर काबिज है। [illegible] वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूलपुरूष [illegible] की विवाहिता पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रताबीबाई थी जो फोत हो चुकी है, जिसकी पुत्री वादिया है। जवाना की नातायत पत्नी छगनीबाई की दो पुत्री शान्ति व छगनी हुई। इस प्रकार वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पिता पुत्री होकर एक ही परिवार के सदस्य होकर गांगा जी के वारिस हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादिया जवाना की पुत्री होने से उसका जन्म से अधिकार है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में आराजियात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से विवादित आराजियात विक्रय करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादिया को कलम संख्या 1 की परिशिष्ट ''अ'' का 1/12 तथा परिशिष्ट ''ब'' का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि वादिया का विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। वादिया व प्रतिवादीगण भील जाति के हैं जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में वादिया को किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वादिया अपने पति के घर गांव आम्बावेरी डबोक में रहती है तथा उसका किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अतः वादिया का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 2 तनकियां कायम की तथा अपने निर्णय दिनांक 05–08–2019 वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–09–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12, 13, 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद की मंशा को समझे बिना वाद मेन्टीनेबल नहीं होना मानकर खारिज करने में भूल की है। अपीलान्ट ने मौरूसी सम्पत्ति में अपनी हिस्सेदारी चाही थी, जिससे अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पुत्री होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की समस्त चल अचल सम्पत्ति में उसका 1/3 हिस्सा बनता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि अनुसूचित जनजाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, वाद खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादिया द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1966 Page 71, RRD 1989 Page 284 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह माना कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं इसलिए वादिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का लाभ नहीं दिया जा सकता। हमारे समक्ष अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने जो न्यायिक नजीर RRD 1966 Page 71 प्रस्तुत की हैं, उसमें माननीय राजस्व मण्डल की फुल बेंच हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (3) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Devolution of agricultural tenancies – Act does not cover cases of Scheduled Tribes, unless notified by Union Govt. in official Gazette." इसी प्रकार RRD 1989 Page 284 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह प्रतिपादित किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि वादिया/अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति की महिला है, जो हमारे उपरोक्त विवेचन अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की राहत पाने की अधिकारी नहीं है। समग्र रूप से हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत पाते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–08–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती नारायणी पत्नी मथरा भील पुत्री ज्वाना भील, निवासी डबोक, अम्बावेरी, त्हसील मावली, जिला उदयपुर बनाम **जवाना पिता गांगा भील, नि. तुलसीदास जी की सराय, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**43 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05**.....माह.....**08**.....**2019**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06**.....माह.....**11**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कैलाश नागदा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–08–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**11**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:07 IST
Reason: SelfAttested